मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्र0 / एफ.25 / 17 / 2008 / 10–2 भोपाल, दिनांक : दिसंबर 2011

प्रति,

1.समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
2.समस्त मुख्य वन संरक्षक
(क्षेत्रीय / अनुसंधान एवं विस्तार / वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश
3.समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
4.समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश

विषय :लोकवानिकी प्रबंध योजनाओं (10 हेक्टर से कम निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों) के लिये मार्गदर्शिका ।

संदर्भ: विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2009

मध्यप्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये म0प्र0 शासन, वन विभाग के संदर्भित पत्र से लोकवानिकी योजना के संबंध में दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे जिनके अंतर्गत 10 हे0 से कम आकार के निजी / राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो "वन" की परिभाषा में नही आते हैं, के लिये प्रबंध योजनाएं बनाने एवं उनके क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई आ रही थी ।

सामान्यतः ऐसे खसरों में भूमि स्वामी की निजी भूमि पर खड़े वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है । विकृत अवस्था में खड़े इन क्षेत्रों में परिपक्व आयु के वृक्षों की अधिकता एवं युवा आयु के वृक्षों की संख्या कम रहती है । 10 हेक्टर से कम ऐसे वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों को वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के रूप में प्रबंधन करने के लिये इच्छुक भूमि स्वामी को ही लोकवानिकी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्र के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना तैयार करनी होगी । 200 वृक्ष प्रति हेक्टर विद्यमान होने पर क्षेत्र को वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में मान्य किया जाएगा । ऐसी प्रबंध योजना भूमि स्वामी की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए तैयार की जावेगी, जिससे अधिक से अधिक भूमिस्वामी अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित हों । अतः 10 हेक्टर से कम आकार के निजी वृक्ष आच्छादित ऐसे खसरे जो "वन" के रूप में अभिलिखित नही हैं, के प्रबंधन हेतु सुगम प्रावधान बनाने की आवश्यकता है ।

अतः इस हेतु लोकवानिकी अधिनियम, 2001 तथा लोकवानिकी नियम 2002 एवं संशोधित नियम 2007 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी समस्त मार्गदर्शी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए प्रबंध योजना हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जाते हैं ।

जारी किए जा रहे मार्गदर्शी निर्देशों में जिन बिन्दुओं पर निर्देश सम्मिलित नहीं हैं, उनके विषय में मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम/नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 10 हेक्टर एवं उससे अधिक निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के लिए संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

सीमांकन.

भूमि के स्वामित्व का राजस्व विभाग से सत्यापन एवं मौके पर सीमांकन होने के उपरांत वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के लिए एक बही तैयार की जाएगी जिसमें क्षेत्र का पी.डी.ए. अथवा अन्य उपकरण से सर्वे करके एक नक्शा भी लगाया जाएगा। इस बही में प्रश्नाधीन वृक्षाच्छादित क्षेत्र में खड़े वृक्षों का प्रजातिवार, गोलाईवार विवरण अंकित कर बही भूमिस्वामी को दी जाएगी। इस बही में भूमिस्वामी द्वारा प्रबंध योजना के अनुसार काटे गये वृक्षों एवं रोपित पौधों की जानकारी तथा अन्य उपचार के विवरण दर्ज होंगे जिनका वन विभाग द्वारा समय–समय पर सत्यापन किया जा सकेगा।

पातन चक्र/रोटेशन.

भूमिस्वामी के वृक्ष आच्छादित क्षेत्र छोटे होने के कारण बड़े वन क्षेत्रों के लिए निर्धारित वानिकी सिद्धांतों के अनुरूप पातन चक्र निर्धारित किया जाना व्यवहारिक नहीं होगा, अतः क्षेत्र की उत्पादक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, योजना अवधि के दौरान पातन योग्य वृक्षों को 5 वर्ष के अंतराल में विदोहित किया जा सकेगा। प्रथम पातन के उपरांत पातन किये गये क्षेत्र में पौध के पुनः स्थापित होने के उपरांत ही द्वितीय पातन की अनुमति दी जा सकेगी।

पातन हेतु वृक्षों का चयन.

भूमि पर खड़े वृक्षों के स्वरूप के आधार पर, पातन योग्य वृक्षों का चयन इस प्रकार किया जाएगा, जिससे कि पातन के उपरांत किये जाने वाले रोपण के पश्चात् क्षेत्र का वृक्ष आच्छादित स्वरूप बना रहे।

पातन नियम/अन्य उपचारों के लिए नियम.

- विदोहन योग्य वृक्षों का चयन एवं उनकी संख्या भू–स्वामी क़ी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित की जाना चाहिए।
- विदोहन उपरांत भूमि पर शेष वृक्षों एवं रोपित पौधों की संख्या कम से कम 200 वृक्ष प्रति हेक्टर होना आवश्यक है। इस संख्या में रोपित पौधों, कापिस से प्राप्त पौधों एवं प्राकृतिक रूप से उगे पौधों की संख्या को गणना में लिया जायेगा।
- क्षेत्र में रोपित की जानेवाली वृक्षों की प्रजातियों का चयन भूमि स्वामी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।
- भूमि के प्रबंधन के दौरान उसका वृक्ष आच्छादित स्वरूप आवश्यक रूप से बना रहना चाहिए अर्थात् क्षेत्र में 200 वृक्ष प्रति हेक्टर की न्यूनतम संख्या की उपलब्धता बनी रहे।

बारहमासी जलधाराओं के किनारे उपचार.

मृदा एवं जल संरक्षण की दृष्टि से बारहमासी जलधाराओं के किनारे पातन किया जाना भूमि स्वामी के स्वयं के हित में नहीं होगा। फिर भी भूमि स्वामी की इच्छा से, ऐसी जलधाराओं से 30 मीटर की दूरी तक बांस, रतनजोत, शीशम, खैर, [illegible], जामुन, अर्जुन, साजा इत्यादि मृदा बांधने वाली प्रजातियों के रोपण एवं उसके स्थापित होने की स्थिति में कटाई का प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य भी मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करना है।

पातन/विदोहन.

विदोहन कार्य स्वीकृत प्रबंध योजना के अनुसार किया जाएगा।

छपान (मार्किंग)

प्रबंध योजना में सम्मिलित भूमिस्वामी के खसरे पर खड़े सभी वृक्षों की प्रजातिवार, गोलाईवार सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से विदोहन हेतु चयनित वृक्षों पर वन विभाग में प्रचलित निर्देशों के अनुसार तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए छपान (मार्किंग) कार्य किया जायेगा। छपान किए गये (चिन्हांकित) वृक्षों पर हैमर लगाने हेतु वन मंडलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी को अधिकृत करते हुए हैमर जारी किया जायेगा। वन मंडल अधिकारी द्वारा हेमर लगाने हेतु अधिकृत वन अधिकारी द्वारा यह कार्य 15 दिन की अवधि में किया जायेगा।

मृदा एवं जल संरक्षण.

प्रबंध योजना के क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण से संबंधित उपचार क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप किये जाने चाहिए ताकि कृषक की भूमि की गुणवत्ता का विघटन न हो।

(आर.के.श्रीवास्तव)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक /एफ. 25/17/2008/10–2 भोपाल,दिनांक 17 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग